भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 611
06 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

मछुआरों के लिए बीमा योजना

611. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मछुआरों के लिए कोई ऋण योजना चला रही है और क्या उसने मछुआरों के लिए बीमा योजना हेतु कोई प्रावधान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) और (ख): वर्ष 2018-19 में, भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार मछुआरों और मत्स्य किसानों तक किया ताकि उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ पूरी हों। इस संबंध में, आरबीआई ने दिनांक 4-2-2019 को मात्स्यिकी के लिए केसीसी सुविधा पर पात्रता, वित्त के पैमाने आदि के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरों और मत्स्य किसानों को 1,82,903 केसीसी कार्ड जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों को आकस्मिक बीमा कवरेज प्रदान करती है जिसमें संपूर्ण बीमा प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और लाभार्थी का कोई योगदान नहीं होता है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रदान किए गए बीमा कवरेज में (i) मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5,00,000 रु/-, (ii) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2,50,000 रु/- और (iii) दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 25,000 रु/- शामिल है। पिछले दो वर्षों (2021-22 से 2022-23 तक) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, योजना के तहत प्रति वर्ष औसतन 32.16 लाख मछुआरों के साथ 96.48 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु नामांकित किया गया है।

*****